राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2215/2025

कमला

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सब सेन्टर, मंगेज सिंह की ढाणी, भजनगढ, ब्लॉक पिपराली, सीकर से उप स्वास्थ्य केन्द्र, अरठवाडा, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला सिरोही में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम गलत रूप से कमला देवी अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का नाम कमला है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान भी गलत अंकित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में सब सेन्टर, मंगेज सिंह की ढाणी, पिपराली, सीकर में कार्यरत है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान सब सेन्टर, मंगेज सिंह की ढाणी, भजनगढ, ब्लॉक पिपराली, सीकर अंकित किया गया है। उनका कथन है कि मंगेज सिंह की ढाणी, भजनगढ में स्थित नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का नाम कमला है और आलोच्य आदेश में कमला देवी अंकित किया गया है। इस कारण से अपीलार्थी की पहचान किया जाना संभव नहीं होना प्रकट नहीं होता है। हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान सब सेन्टर, मंगेज सिंह की ढाणी सही अंकित है और ब्लॉक पिपराली, सीकर भी सही अंकित है। केवल मात्र भजनगढ अतिरिक्त रूप से जोड गया है, जिससे सब सेन्टर की पहचान नहीं होने की स्थिति प्रकट नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा जो गलती बताई गयी है, वह केवल मात्र टंकण की त्रुटि मात्र है एवं उक्त त्रुटि के आधार पर आलोच्य आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं होना प्रकट नहीं होता है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष